क्रम-संख्या-200

रजिस्ट्रेशन नम्बर-जी०-11/लाई०-न्यूज पेपर/91/05-06
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, मंगलवार, 31 जुलाई, 2007
श्रावण 9, 1929 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1411/79-वि-1-07-1(क)15/2007
लखनऊ, 31 जुलाई, 2007

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पर दिनांक 30 जुलाई, 2007 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2007 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिनियम द्वारा प्रकाशित किया जाता है-

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 18 सन् 2007]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के अट्ठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जायेगा।

(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 का सामान्य संशोधन

2-किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 में, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, शब्द "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय" जहां-जहां आये हों, जिसके अन्तर्गत शीर्षक और दीर्घ शीर्षक भी हैं, के स्थान पर शब्द "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश" रख दिये जायेंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 3 सन् 2007

3-(1) किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के प्रावधान सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

प्रदेश की जनता के विभिन्न वर्गों की ओर से "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय" के नाम को परिवर्तित करके "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश" किये जाने की मांग की जा रही है। उक्त मांग के समर्थन में यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि छत्रपति शाहूजी महाराज भारतीय समाज के विख्यात और गौरवशाली महापुरुष रहे हैं, जिनके नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय का नामकरण किये जाने से अपने देश के महापुरुष के गौरव में अभिवृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त किंग जार्ज का नाम भारत पर शासन करने वाले विदेशी शासक का नाम है, जिसके नाम से चिकित्सा विश्वविद्यालय का नामकरण बनाये रखने से भारतीय भावनाओं को ठेस पहुंचती है तथा गुलामी की मानसिकता प्रकट होती है। अतः यह विनिश्चय किया गया है कि किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 को संशोधित करते हुए "किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ" के नाम को परिवर्तित करके "छत्रपति शाहूजी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" कर दिया जाय।

तद्नुसार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2007 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
प्रताप वीरेन्द्र कुशवाहा,
सचिव।

UTTAR PRADESH SARKAR
VIDHAYI ANUBHAG-1
No. 1411/LXXIX-V-1-07-1(Ka)15/2007
Dated, Lucknow July 31, 2007

NOTIFICATION

Miscellaneous

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the King George Chikitsa Vishwavidyalaya (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2007 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 18 of 2007) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 30, 2007 :-

THE KING GEORGE'S MEDICAL UNIVERSITY (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007

(U.P. ACT NO. 18 OF 2007)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the King George's Medical University Act, 2002.

IT IS HEREBY enacted in the fifty-eighth year of the Republic of India as follows :–

Short title

1. This Act may be called the King George's Medical University (Second Amendment) Act, 2007.

General Amendment of U.P. Act no. 8 of 2002

2. In the King George's Medical University Act, 2002 hereinafter referred to as the Principal Act, *for* the words "King George's Medical University" wherever occurring including heading and long title, the words "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh" shall be *substituted.*

Repeal and saving

U.P. Ordinance no. 3 of 2007

3. (1) The Uttar Pradesh King George's Medical University (Amendment) Ordinance, 2007 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act, as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Various classes of the people of the State were demanding to change the name of "King George's Medical University" by "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh". In the support of the said demand it has been argued that Chhatrapati Shahuji Maharaj had been a renowned and eminent personality of the Indian society, therefore if the Medical University shall be re-named by the Chhatrapati Shahuji Maharaj, he will be glorified. Besides the name of King George is the name of a foreign ruler who ruled over India, therefore if the name of the said Medical University is continued in the name of King George, it hurts the Indian feelings and reflect the mentality of slavery. It has, therefore been decided to amend the King George's Medical University, Act, 2002 to change the name of "King George's Medical University, Lucknow" by the "Chhatrapati Shahuji Maharaj Medical University, Uttar Pradesh, Lucknow".

The King George's Medical University (Second Amendment) Bill, 2007 is introduced accordingly.

By order,

P.V. KUSHWAHA,

Sachiv.

पी० एस० यू० पी०–ए० पी० 316 राजपत्र–(874)–2007–597 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।